बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, लखीसराय के अधीन शीर्ष नाबार्ड योजनान्तर्गत L049 Sahur to Jagira पथ संवेदक Kanhaiya Kumar(Regd. No-3170070/3170787) को आवंटित किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि 26.08.2017 एवं वास्तविक रूप से कार्य समाप्ति की तिथि 25.02.2018 है।

संवेदक द्वारा दिनांक 23.09.2021 को पथ निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के उपरांत प्रश्नगत पथ में पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य नहीं कराने के कारण कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, लखीसराय द्वारा संवेदक को मौखिक एवं लिखित रूप से स्मारित किये जाने के बावजूद संवेदक द्वारा अनुरक्षण कार्य करने में कोई अभिरूचि नहीं ली गई। तदालोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, लखीसराय का सकारण आदेश ज्ञापांक 228 दिनांक 10.02.2025 द्वारा संदर्भित पथ के एकरारनामा को विखंडित करते हुए संवेदक के विरूद्ध कार्रवाई किये जाने हेतु अनुशंसा की गई।

क्षेत्रीय अभियंताओं से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में संवेदक के विरूद्ध बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 में निहित प्रावधान के तहत कार्रवाई करने के पूर्व विभागीय पत्रांक 1236 दिनांक 03.04.2025, पत्रांक 8212 दिनांक 29.07.2025 एवं पत्रांक 9941 दिनांक 16.09.2025 द्वारा निबंधित डाक एवं ईमेल के माध्यम से संवेदक से कारणपृच्छा की गई। उक्त के आलोक में संवेदक द्वारा अबतक अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि संवेदक को अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है।

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, लखीसराय का पत्रांक 831 दिनांक 18.02.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संवेदक द्वारा प्रश्नगत पथ निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत उक्त पथ में अनुरक्षण कार्य नहीं किया गया है और न ही मापीपुस्त में दर्ज है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में कार्य प्रमंडल, लखीसराय के अधीन शीर्ष नाबार्ड योजनान्तर्गत L049 Sahur to Jagira पथ में पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य नहीं किये जाने के संबंधी आरोपों को प्रमाणित मानते हुए बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) के नियम 11(क)(vi) में निहित प्रावधान के तहत संवेदक Kanhaiya Kumar(Regd. No-3170070/3170787, PAN-ERRPK9095P), At-Charauri, PO-Nawagarhi, Dist-Munger, Pin-811211 को 04(चार) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

(हस्ताक्षर) 24.02.26
(जय किशोर ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

निबंधित/ ईमेल

ज्ञापांकः–14/अ0प्र0–14–126/2025 2529 /पटना, दिनांकः– 24.2.26

प्रतिलिपिः–Kanhaiya Kumar(Regd. No-3170070/3170787), At-Charauri, PO-Nawagarhi, Dist-Munger, Pin-811211को सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 24.02.26
अभियंता प्रमुख

P.T.O.

ज्ञापांकः— 14/अ0प्र0—14—126/2025 2529 /पटना, दिनांकः— 24.2.26

प्रतिलिपिः—अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.02.26

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः— 14/अ0प्र0—14—126/2025 2529 /पटना, दिनांकः— 24.2.26

प्रतिलिपिः—अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग,/भवन निर्माण विभाग /जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/योजना एवं विकास विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.02.26

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः— 14/अ0प्र0—14—126/2025 2529 /पटना, दिनांकः— 24.2.26

प्रतिलिपिः—आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.02.26

अभियंता प्रमुख